न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

अनवान रोशनी देवी बनाम ममता आदि

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 19 सीपीसी प्र0 सं0 203/2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
24.07.2023	पत्रावली रिपोर्ट उपरान्त पेश हुई। दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी पर विद्वान प्रार्थी के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दफा–5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए कथन किया कि पत्रावली में अभी तलबी नहीं हुई थी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह कथन किया था कि जब भी पत्रावली में प्रार्थीगण की आवश्यकता होगी सूचित कर देंगे। प्रार्थीगण इसी विश्वास में रहे कि आवश्यकता होने पर उनके अधिवक्ता सूचित कर देंगे। इस कारण प्रार्थीगण दिनांक 23.08.2022 को उपिस्थत नहीं आये। माह जून के अंतिम सप्ताह में प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपने अधिवक्ता से पूछा तो उन्होंने उक्त आक्षेपित आदेश पारित होने का कथन किया, तथा प्रार्थीगण के पूर्व अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जिस पर अपीलाण्ट को अक्षेपित आदेश की जानकारी हुई। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर मूल प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद शुमार किया जावे। विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है, तथा प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी अन्दर मियाद शुमार की जाती है। प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी पर बहस करते हुए कथन किया कि पत्रावली वास्ते तलबी मुकर्रर थी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण का आश्वासन दे रखा था कि जब भी आवश्यकता होगी आपको बुला लेंगे। लेकिन अधिवक्ता को कोई सूचित नहीं किया। मामला प्रारंभिक स्तर पर है तथा अचल संपति से संबंधित है। यदि उक्त प्रार्थना–पत्र रेस्टोर नहीं किया जाता तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।	

Lอ

Scanned with OKEN Scanner

वद्वान अधिवकता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया। मामला अचल सम्पति से संबंधित है तथा मूल अपील में किसी पक्षकार की तलबी नहीं हुई है। प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 19 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील 184/2018 अनवान रोशनी देवी आदि बनाम ममता आदि में पारित आदेश दिनांक 23.08.2022 निरस्त किया जाता हैं। मूल अपील को पुनः नंबर पर लिया जावे। प्रार्थना–पत्र निर्णित शुमार एवं नंबर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

24.7.23